ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00115

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 34/2018

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र जगदीश कालडा निवासी मकान कालडा डेयरी फार्म, मकान नम्बर 182, गली नम्बर 03, शाक्तिनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
2. मै0 कालडा डेयरी फार्म, मकान नम्बर 182, गली नम्बर 03, शाक्तिनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगरच

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 13.06.2018**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.06.2017 को दोपहर पूर्व 11.00 बजे वास्ते चैंकिग फर्म **मै0** कालडा डेयरी फार्म, मकान नम्बर 182, गली नम्बर 03, शाक्तिनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर एवं उपस्थित पहुंचे। वहां पर श्री विजय पुत्र श्री जगदीश कालडा उपस्थित मिला। उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पर विजय कुमार पुत्र जगदीश कालडा निवासी मकान कालडा डेयरी फार्म, मकान नम्बर 182, गली नम्बर 03, शाक्तिनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को ''Dahi (Loose)'' विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ ''Dahi (Loose)'' के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो वहां किरयाना स्टोर एवं डेयरी फार्म में रखे 10 प्लास्टिक कप प्रत्येक कप में 200 ग्राम ''Dahi (Loose)'' आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। इनमें से 4 कपों का कुल 800 ग्राम ''Dahi (Loose)'' जांच के लिए खरीद की, ''Dahi (Loose)'' की कीमत 48/— रू अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गवाहान श्री राजेश कुमार एवं श्री महेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री विजय एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा ''Dahi (Loose)'' के चार कपो को एक साफ एवं सुखे स्टील के भगोने में डालकर एक रूप किया तथा प्लास्टिक बोतलों में बराबर–बराबर भागों में डालकर एवं परिरक्षक के रूप में फोरमेलिन की 16–16 बूंदे मिलाकर कंसकर ढक्कन बन्द किये एवं टेप से चिपकाकर लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–794 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने ज़ाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 1328 / एक्ट / 2017 / 1395 दिनांक 22.06.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–794 ''Dahi (Loose)'' **अमानक स्तर** (Substandard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त विजय कुमार पुत्र जगदीश कालडा निवासी मकान कालडा डेयरी फार्म, मकान नम्बर 182, गली नम्बर 03, शाक्तिनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर ''Dahi (Loose)'' का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.03.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस ''Dahi (Loose)'' का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Substandard Food) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त ''Dahi (Loose)'' में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण करने का श्रम करें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया ''Dahi (Loose)'' का सैम्पल के–794 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 1328 / एक्ट / 2017 / 1395 दिनांक 22.06.2017 द्वारा (Substandard Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस ''Dahi (Loose)'' का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Substandard Food) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त ''''Dahi (Loose)'' में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण करने का श्रम करें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त श्री विजय कालडा पर Substandard Food ''Dahi (Loose)''विक्रय करने पर धारा 51 के तहत शास्त्रि 3000 / –रूपये (अखरे रूपये तीन हजार) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त ''Dahi (Loose)''का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में ''Dahi (Loose)'' के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6/18

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)